न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –154/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/183

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अर्जुनराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी सुरजनियावास तहसील नागौर जिला नागौर, राजस्थान।		तहसीलदार नागौर

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 08.01.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2024 अनवान सरकार बनाम अर्जुनराम में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.08.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट का दोराने बहस कथन हैं कि साबिका खेत खसरा नम्बर 175 रकबा 58 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 175 रकबा 56 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम मौजा सरासनी तहसील नागौर में स्थित है उक्त भूमि तत्कालीन जागीरदार तेजसिंह व अमरसिंह बेटा लूणसिंह की जागीर की थी उक्त भूमि पर अपीलांट के पिता शिवकरण व उनके देहान्त के पश्चात् अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है तथा उक्त खेत में अपीलांट ने ट्यूबवेल खुदवाकर विद्युत कनेक्शन ले रखा है। उपरोक्त भूमि बंदोबस्त की गलती से अपीलांट के पिता व अपीलांट की खातेदारी में दर्ज नहीं हुई तब अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार अमर सिंह से उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी में करवाने के लिये निवेदन किये जाने पर केवल 20 बीघा भूमि का विक्रय पत्र अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दिया तथा शेष भूमि रकबा 36 बीघा की खातेदारी बाद में करवाने का कहा गया था परन्तु बाद में उक्त भूमि की खातेदारी इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुये सोहनसिंह को विक्रय कर दी, मगर कब्जा निरन्तर सम्पूर्ण 56 बीघा का अपीलांट का रहता आया हैं व आज दिन भी उक्त भूमि पर कब्जा अपीलांट का है व कपास की फसल बोई हुई है। सन् 2023 में उक्त भूमि 36 बीघा सोहनसिंह ने जेएसडब्ल्यू सीमेन्ट कम्पनी को विक्रय कर दी मगर उक्त भूमि के चारों तरफ खातेदारी के खेत होने से कम्पनी के लिये उक्त खेत की कोई उपयोगिता नहीं थी, इसलिये उसने उपरोक्त भूमि की ऐवज में ग्राम पंचायत से एनओसी प्राप्त करके अन्य खसरा की गोचर भूमि को अपनी खातेदारी में राज्य सरकार से प्राप्त कर ली व उसकी ऐवज

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

में उक्त भूमि 36 बीघा रकबे को गोचर के लिये छोड़ दी, जबकि वास्तविक कब्जा अपीलांट के पास था व है,इसलिये उपरोक्त सारे हस्तान्तरण व समर्पण पूर्णतया अवैध है। उक्त भूमि में पशुओं के आने–जाने के लिये कोई रास्ता भी नहीं है इसलिये इस भूमि की गोचर के लिये कोई उपयोगिता भी नहीं है। जबकि अपीलांट व इसके पिता का उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के वक्त व जागीर पुनग्रहण लागू होने के वक्त विधिनुसार कब्जा था व विधिनुसार वादी व उसके पिता की खातेदारी दर्ज की जानी चाहिए थी, जो कि, राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज नहीं की गई। अपीलांट व उसके पिता ग्रामीण परिवेश के रहने वाले अशिक्षित व्यक्ति है। उसका उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिये उपरोक्त भूमि उसने अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने की कार्यवाही नहीं की व रेस्पोडेंट तहसीलदार ने भी अपीलांट को अतिक्रमी मानकर कोई कार्यवाही नहीं की। मगर खसरा नम्बर 175 रकबा 5.80 हेक्टेयर भूमि पर अपीलांट को अतिकमी मानकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर रेस्पोडेंट ने धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट में अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही शुरू करके दिनांक 21.8.2024 को अपीलांट को बेदखल करने व लगान दर का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 216/– कायम किये जाकर आदेश पारित कर दिया जो नियम विरूद्व हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 30.7.2024 को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस प्राप्त हुआ और दिनांक 21.8.2024 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अनुचित हैं। अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते तो पुराना राजस्व रिकार्ड आदि दस्तावेजों की नकलें प्राप्त करके पेश करता तथा खेत पड़ौसियों की मौखिक साक्ष्य भी पेश करता। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया इसलिये आदेश जैर अपील अवैध है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के जबाब पर विचार किये बिना ही व मौके पर उसके खेत में अधी पक्की कपास की फसल खड़ी होने के तथ्यों पर विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को गोचर मानने में गलती की है,वास्तविक रूप से हमेशा से जमीन की किस्म बारानी दोयम काबिज रहती आई है तथा अभी पांच छः माह पूर्व ही गोचर दर्ज किया गया है। इसलिये आदेश जैर अपील अवैध है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2024 में पारित आदेश दिनांक 21.8.2024 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि ग्राम सरासनी के खसरा नम्बर 175 रकबा 5.80 हैक्टयर गै0मु0 गोचर भूमि हैं। इसलिए इस भूमि पर अपीलांट को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तहसीलदार,नागौर द्वारा विधिक प्रकिया के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुवे निर्णय दिनांक 21.08.2024 को पारित किया गया हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत टी.पी. रिपोर्ट पटवारी हल्का,हरीमा का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का ने तहसीलदार,नागौर को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं कि ग्राम सरासनी के खसरा नम्बर 175 रकबा 5.80 हैं0 किस्म भूमि गै0मु0 गोचर पर श्री अर्जुनराम पुत्र श्री शिवकरण,कौम जाट निवासी–सुरजनियावास द्वारा सम्वत् 2081 में फसल जरिये कपास कास्त करके नाजायज कब्जा कर लिया हैं। पटवारी हल्का की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2024 न्यायालय में दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिऐ नोटिस तलब किये जाने पर गैर सायल जरिऐ अभिभाषक उपस्थित हुवे हैं तथा दिनांक 21.08.2024 को उनके द्वारा जबाब भी प्रस्तुत किया गया हैं। बाद सुनवाई प्रकरण में दिनांक 21.08.2024 को निर्णय पारित किया गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह साबित हैं कि अपीलांट को प्रस्तुत प्रकरण में विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में खसरा नम्बर 175 रकबा 5.80 है0 भूमि उनकी स्वामित्व की भूमि होने का कोई दस्जावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। जबकि खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत् 2081 के अवलोकन से खसरा नम्बर 175 की किस्म भूमि गै0मु0 गोचर अंकित हैं। अपीलांट ने अपील में यह बिन्दू उठाया हैं कि यह भी गोचर अभी दर्ज हुई हैं,उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हैं,क्योंकि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि की किस्म गै0मु0 गोचर दर्ज हैं तथा गोचर भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.08.2024 को निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया हैं,जो निर्णय विधिवत् पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 45/2024 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2024 को यथावत् रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति मय मूल अभिलेख पत्रावली पुनः लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर नागौर